भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *495

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

माध्यस्थम एवं सुलह संबंधी कार्यवाही में सुधार

***495. श्री बिप्लब कुमार देब :**

श्री बलभद्र माझी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार माध्यस्थम एवं सुलह संबंधी कार्यवाही में दक्षता एवं गति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ख) सरकार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही माध्यस्थम निर्णयों के प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सरकार सुलहकर्ताओं एवं मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने एवं प्रमाणित करने के लिए वित्तपोषित कार्यक्रम चला रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

माध्यस्थम एवं सुलह संबंधी कार्यवाही में सुधार के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *495 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) सरकार माध्यस्थम् और मध्यकता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं । सरकार इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए नीतिगत और विधायी हस्तक्षेप कर रही है । इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल, कदम और उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल रखने और विवाद समाधान के लिए एक व्यवहार्य तंत्र के रूप में माध्यस्थम् को सक्षम करने के लिए वर्ष 2015, 2019 और 2020 में क्रमिक रूप से संशोधित किया गया है । संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाही का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और माध्यस्थम् पंचाटों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है । संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना है, जिससे एक माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके, जहां माध्यस्थम् संस्थानों की स्थापना और विकास किया जा सके ।

(ii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में किसी तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं होती है, तो पक्षकारों को न्यायालय का द्वार खटखटाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपाय को करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने का अवसर प्रदान करना है ।

(iii) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 को संस्थागत मध्यस्थम् की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था । केंद्र की स्थापना के प्रारंभ से ही इसका उद्देश्य माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षकारों के बीच विश्वास जगाना है । केंद्र ने कुशल और समयबद्ध माध्यस्थम् प्रक्रिया पर ध्यान देने के साथ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के संचालन की सुविधा के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है । भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन स्थापित माध्यस्थम् चैंबर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम्, दोनों के लिए प्रतिष्ठित मध्यस्थों को सूचीबद्ध करना जारी रखता है । इस केंद्र को देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्थान बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

(iv) मध्यकता अधिनियम, 2023, विशेष तौर पर संस्थागत मध्यकता के तत्वावधान में, विवाद करने वाले पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए विधायी रूपरेखा तैयार करता है । मध्यकता अधिनियम, 2023 से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह मध्यकता पर स्वतंत्र विधि प्रदान करने

और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति के विकास को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप होगा ।

(ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 15 में केंद्र के कार्यों का उपबंध है और, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी कहा गया है कि केंद्र माध्यस्थम्, सुलह और मध्यकता से जुड़े लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों में प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगा । माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा पेशेवरों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी संस्थाओं सहित हितधारकों के लिए सम्मेलन, सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करके लगातार दी जा रही है ।

****